



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]
No. 128]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1992/चैत्र 4, 1914
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1992/CHAITRA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 339(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 114(अ) दिनांक 7 मार्च, 1990 का अधिश्चयन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा संबद्ध पत्तन के म्यासों मंडल में उक्त तालिका के कासम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिश्चित करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1
भारतीय रेल	1
महाराष्ट्र सरकार,	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	4
	कुल 11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं.-18011/3/91—पी टी (1)]

अधीक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.339(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 114(E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Bombay.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs Deptt.	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Govt. of Maharashtra	1
Min. of Surface Transport	1
Other Interests	4
	Total: 11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT—18011/3/91—PT (1)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 340(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 113 (अ) दि. 7 मार्च, 1990 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा बम्बई पत्तन के न्यासी मण्डल में उक्त तालिका के क्रमशः कासम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

2. बशर्ते कि उक्त तालिका की क्रम सं. 1 और 2 के सम्मुख उल्लिखित निकाय, सरकार के स्थापित नियंत्रण में हैं तो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्रम सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन	अन्य हित	1
2.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	जहाज मालिक	1
3.	ऑल इंडिया शिपर्स कॉउंसिल	शिपर्स	1
4.	इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन	जहाज मालिक	1
5.	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	शिपर्स	1
6.	बम्बई चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	शिपर्स	1
7.	क्वेटर्स हाउस एजेण्ट एसोसिएशन	अन्य हित	1
8.	स्टीवडोरस एसोसिएशन, बम्बई	अन्य हित	1
		योग	8

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 18 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी 18011/3/91—पी टी iii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R. 340(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 113 (E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Ports of Bombay.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1 and 2 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1.	Indian Oil Corporation (IOC)	Other Interest	1
2.	Shipping Corporation of India (SCI)	Shipowners	1

1	2	3	4
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Indian National Shipowners Association (INSA)	Shipowners	1
5.	Maharashtra Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
6.	Bombay Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
7.	Customs House Agents Association, Bombay	Other Interest	1
8.	Stevedores Association, Bombay	Other Interest	1
Total			8

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/3/91-PT(ii)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 341(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अन्तर्गत में तथा भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 116(अ) दिनांक 7-3-90 का अधिसूचना करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की सूची विनिश्चित करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में सगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा सेवाएं (नौ सेना)	1
भारतीय रेलवे (साउथ-ईस्टर्न रेलवे)	1
पश्चिम बंगाल सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	3
योग	10

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/4/91-पी टी (i)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.341(E)—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.116(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways (South Eastern Railway)	1
Govt. of West Bengal	1
Min. of Surface Transport	1
Other Interest	3
Total:	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/4/91-PT(i)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 342(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 115 (अ) दिनांक 7-3-90 का अधिसूचना करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के क्रमशः कालम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिश्चित करती है।

2. बराबर कि उक्त तालिका की क्रम सं. 1, 2, 8 और 9 के सम्मुख निकाय सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में है तो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्रम सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	जहाज मालिक	1
2.	इण्डियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड	अन्य हित	1

1	2	3	4
3.	बंगाल इंडिया शिपर्स काउंसिल	शिपर्स	1
4.	एम्प्लोयर्स असोसिएशन ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, कलकत्ता	जहाज मालिक	1
5.	बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, कलकत्ता	शिपर्स	1
6.	बंगाल नेव्गेशन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज	शिपर्स	1
7.	इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स, कलकत्ता	शिपर्स	1
8.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता	अन्य हित	1
9.	इंडियन पोर्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन अन्व हिं		1

योग 9

3. उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में वेदम संसद एक्ट द्वारा 18 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को नया अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा।

4. यह प्रविष्टि 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी 18011/4/91--पी टी (ii)]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.342(F).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.115(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial Number 1, 2, 8 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1.	Shipping Corporation of India Limited.	Shipowners	1
2.	Indian Oil Corporation Ltd.	Other Interest	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Association of Shipping Interests, Calcutta.	Shipowners	1
5.	Bengal Chamber of Commerce & Industries, Calcutta.	Shippers	1

1	2	3	4
6.	Bengal National Chamber of Commerce & Industries.	Shippers	1
7.	Indian Chamber of Commerce, Calcutta.	Shippers	1
8.	Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC).	Other Interest	1
9.	Indian Road Construction Corporation (IRCC).	Other Interest	1
Total:			9

3. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT—18011/4/91—PT(ii)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 343(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 117(अ) दिनांक 7-3-1990 का अधिग्रहण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित निरूपित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
भारतीय रेलवे	1
गुजरात सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
रक्षा सेबाएं (नौ सेना)	1
अन्य हित	4

योग : 11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी. टी. -- 18011/6/91--पी. टी. (1)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.343(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.117 (E) dated 7-3-1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs Deptt.	1
Indian Railways	1
Govt. of Gujarat	1
Min. of Surface Transport	1
Defence Services (Navy)	1
Other Interests	4
Total:	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/6/91-PT(i)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 344(अ):—महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 116(अ) दिनांक 7-3-90 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के क्रमशः कालम (2) और (3) में वर्णित गण हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु सीधे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

2. बशर्ते कि उक्त तालिका की क्रम सं. 5 और 6 के संसुद्ध उल्लिखित निकाय, सरकार के रक्षामित्व निदरूपण में हैं तो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्रम सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	शिपओनर्स	1

1	2	3	4
2.	गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज शिपर्स		1
3.	पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स शिपर्स		1
4.	गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स और इंडस्ट्री शिपर्स		1
5.	इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) अन्य हित		1
6.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस टी सी) अन्य हित		1
कुल			6

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा।

4 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/6/91-पी टी (ii)]

अशोक जोशी, मंत्रालय सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.344(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.116(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial numbers 5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
2.	Gujarat Chamber of Commerce & Industries.	Shippers	1
3.	Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce	Shippers	1
4.	Gandhiham Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
5.	Indian Oil Corporation (IOC)	Other Interest	1
6.	State Trading Corporation (STC)	Other Interest	1
Total:			6

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT—18011/6/91—PT(ii)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च 1992

सा. का. नि. 345(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 120(अ) दिनांक 7 मार्च, 1990 का अधिक्रमण करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उक्त सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करनी है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
रोमा एन्क विभाग	1
भारतीय रेल	1
रक्षा सेवाएं (नी सेना)	1
तमिलनाडु सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	3
योग	10

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/7/91-पी टी (i)]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.345(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R.120(A) dated 7th March 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs Department	1
Indian Railways	1
Defence Services (Navy)	1
Government of Tamilnadu	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	3
Total :	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT-18011/7/91-PT(ii)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1992

सा. का. नि. 346 (अ) :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रायधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 121 (अ) दिनांक 7 मार्च, 1990 का अधिक्रमण करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के क्रमशः कालम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है :

2. बताने कि उक्त तालिका की क्र. सं. 1, 7, 8 और 9 के सम्मुख उल्लिखित निकाय, सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में हैं तो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्रम सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,	शिपओनर्स	1
2.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	शिपओनर्स	1
3.	ऑल इंडिया शिपओनर्स काउंसिल	शिपर्स	1
4.	हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स मद्रास	शिपर्स	1
5.	मद्रास चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, मद्रास	शिपर्स	1
6.	साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, मद्रास	शिपर्स	1
7.	मद्रास रिफाइनरी लिमि., मद्रास	अन्य हित	1
8.	मिनरल्स एण्ड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन	अन्य हित	1
9.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टी एन ईबी)	अन्य हित	1
	योग :		9

3. अधिकांश पारामर का धारा 3 का उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार पत्रद्वारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को उस प्राधि के रूप में विनिर्दिष्ट करना है जिसमें न्यायियों का चुनाव किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी.टी.-18011/8/91-पी.टी.(ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R. 346(F).—In pursuance of the provision of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.121(E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest shown respectively in columns (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras :

2. Provided that in the case of anybody mentioned against serial numbers 1, 7, 8 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shipping Corporation of India Ltd.	Shipowners	1
2.	Indian National Shipowners Association	Shipowners	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Hindustan Chamber of Commerce, Madras	Shippers	1
5.	Madras Chamber of Commerce & Industry Madras.	Shippers	1
6.	Southern India Chamber of Commerce and Industry, Madras.	Shippers	1
7.	Madras Refineries Ltd., Madras	Other Interest	1
8.	Minerals and Metal Trading Corporation	Other Interest	1
9.	Tamilnadu Electricity Board (TNEB)	Other Interest	1
Total:			9

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT-18011/8/91-PT(ii)]
Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 347 (अ) :- महापत्तन न्याय अधिनियम 1963 (1963 का 38) का धारा 3 का उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) का अधिसूचना संमांका.नि. 126 (अ) दिनांक 7-3-90 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार सरकार पत्रद्वारा पाराचैप पत्तन के न्यायो मंडल में उक्त तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हेतु नीचे दो गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा सेवा (नौसेना)	1
राजीव रेलवे	1
उड़ीसा सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	4
कुल :	
	11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी.टी.-18011/9/91-पी.टी. (ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.347(F).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 126(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paracip.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Govt. of Orissa	1
Min. of surface Transport	1
Other Interest	4
Total:	
	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.N., PT-18011/9/91-PT (i)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 348 (अ) :- महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-मूलत परिवहन मंत्रालय पत्तन पक्ष की अधिसूचना सं. 125 (अ) दिनांक 7-3-90 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पारदीप पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के क्रम सं. (2) और (3) में वर्णित हुए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है :

2. बताने कि उक्त तालिका की क्रम सं. 5 और 6 के सम्मुख उल्लिखित निकाय, सरकार के स्थानित्व नियंत्रण में हैं तो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्र.सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मिनिरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एम टी सी)	अन्य हित	1
2.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	अहाज मलिक	1
3.	उड़ीसा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	शिपर्स	1
4.	उत्कल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	शिपर्स	1
5.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टी एन ई बी)	अन्य हित	1
6.	इंडियन आयल कारपोरेशन	अन्य हित	1
योग :			6

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 18 मार्च, 1992 को मसौदा होने वाली अधि की उक्त अधिधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा।

[फा.सं. पी टी-18011/9/91- पी टी-(ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.348(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of, Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.125(E) dated 7-3-90 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Paradip :

2. Provided that the case of body mentioned against serial number 1, 5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Names of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1.	2.	3.	4.
1.	Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC)	Other Interest	1
2.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
3.	Orissa Chamber of Commerce & Industry.	Shippers	1
4.	Utkal Chamber of Commerce & Industry.	Shippers	1
5.	Tamilnadu Electricity Board (INEB)	Other Interest	1
6.	Indian Oil Corporation	Other Interest	1
Total:			6

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/9/91-PT(ii)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 349 (अ) :- महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल-मूलत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 128 (अ) दिनांक 7 मार्च 1990 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशाखा-पत्तनम पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका	अधिसूचना
प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में सगे अधिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
प्रांश प्रवेश सरकार	1
रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1
भारतीय रेलवे	1
जल-मूलत परिवहन मंत्रालय	1
अन्य हित	4
योग :	11

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी टो-18011/10/91-पी टो (i)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R. 349(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R. 128 dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	21
Department of Customs	1
Govt. of Andhra Pradesh	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Ministry of Surface Transport	1
Other Interests	4
Total:	11

2. This notification shall come into force on 1st Day of April, 1992.

[F. No. Pt-18011/10/91-PT (i)]

ASHOKE JOSHI, Joint Secy.

777GI/92—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 350 (अ) :- महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-मूलत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127 (अ) दिनांक 7-3-1990 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी मण्डल में उक्त तालिका के क्रमशः कालम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

2. बताने कि उक्त तालिका की क्रम सं. 5 और 6 के समूह उल्लिखित निकाय, सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में है तो ऐसे निकायों द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

तालिका

क्र. सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, विज्ञान,	अन्य हित	1
2.	खनिज एवं धातु व्यापार नियम	अन्य हित	1
3.	फेडरेशन ऑफ प्रांश प्रवेश चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, हैदराबाद	शिपर्स	1
4.	विशाखापत्तनम चेम्बर ऑफ कामर्स, विज्ञान शिपर्स		1
5.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन अन्य हित		1
6.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टी एन ई बी)	अन्य हित	1
	योग :		6

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी टो-18011/10/91-पी टो (ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.350(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.127(E) dated 7-3-1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest,

shown respectively in column 2 and 3 of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial Number 1, 2 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Vizag.	Other Interest	1
2.	Mineral and Metal Trading Corporation	Other Interest	1
3.	Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce & Industry, Hyderabad.	Shippers	1
4.	Visakhapatnam Chamber of Commerce, Vizag	Shippers	1
5.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
6.	Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)	Other Interest	1
		Total:	6

3. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.

4. This notification shall come into force on the 1st Day of April, 1992.

[F.No.PT—18011/10/91—PT(ii)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 351 (अ) :- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के

उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कोचीन पत्तन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं.सा. का.नि. 56 (अ) दिनांक 21 जनवरी, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना की नीचे दी गई तालिका में (क) "अन्य हितों" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :-

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
--------------------------------	--

"अन्य हित"

4

(ख) कालम (2) में "कुल" शब्द के सम्मुख अंक "9" के स्थान पर अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. पी टी - 18011/5/91-पी टी (i)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.351(E).—In exercise of powers conferred by the sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.GSR56 (E) dated 21st January, 1992 relating to the Port of Cochin.

2. In the Table below the said notification (a) for the entries relating, to "other interests" the following entries shall be substituted namely:—

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
'Other Interests'	4

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '9', the figure '12' shall be substituted.

[F.No.PT—18011/5/91—PT(i)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.